संख्या-16/2018/1973/71-4-2018-एस-1/2015

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनॉक 06 नवम्बर, 2018**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 से उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,सैफई, इटावा में 300 बेडेड नर्सेज हास्टल के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4765/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/17-18, दिनांक 09.03.2018 दिनांक 09.04.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,सैफई, इटावा में शासनादेश संख्या-14/2018/394/71-4-2018-एस-1/2015 दिनांक 06 नवम्बर, 2018 द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन 300 बेडेड नर्सेज हास्टल की प्रायोजना को पुनरीक्षित करते हुए रू0 2369.92 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत वृहत निर्माण कार्य की अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से रू0 315.16 लाख (रूपए तीन करोड पन्द्रह लाख् सोलह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त के अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 से विश्वविद्यालय परिसर में 300 बेडेड नर्सेज हास्टल के निर्माण हेतु रू0 84.84 लाख (रूपए चौरासी लाख चौरासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1. कार्यदायी संस्था तथा विश्वविद्यालय द्वारा आय(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टयों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था तथा विश्वविद्यालय की होगी।
3. कार्यदायी संस्था तथा विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है।
4. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।
5. विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो।
6. विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोजना, रचना एवं मूल्याकंन प्रभाग की शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
7. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी०एल०ए०/डाकघर खाते आदि में नहीं रखा जाएगा।
8. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जाएगा।
9. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
10. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगृति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11. धनराशि को कोषागार से विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जाएगा एवं बिलो पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के हस्ताक्षर प्राप्त किये जाएगे।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखा लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-3-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-29-रूरल इंस्टीटयूट आफ मेडिकल सांईसेज रिसर्च, सैफई, इटावा-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-3-2267/दस-2018 दिनांक 06 नवम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या:-16/2018/1973/(1)/71-4-2018 तद्वदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, इटावा।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी,उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।